



पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष
विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर

(छ0ग0 अधिनियम क्र0 21/2008 द्वारा स्थापित)

दूरभाष/फैक्स: 0771-2513751

ई-मेल:-healthuniversitycg@yahoo.com

वेबसाइट-www.ddmhsaucg.ac.in

क्रमांक/एफ-130/3983/डी.यू.एच.एस./अका/2024

रायपुर, दिनांक 18/11/2024

—: अधिसूचना :-

संबद्धता सेवाओं में 18% GST लागू करने के संबंध में 54वें जी.एस.टी. काउंसिल में लिये गये निर्णय के प्ररिप्रेक्ष्य में पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड की बैठक दिनांक 15.10.2024 के बिंदु क्रमांक 18 में लिये गये निर्णय अनुसार संबद्धता सेवाओं पर दिनांक 01.07.2017 से 18% GST (जी.एस.टी.) लागू किया जाता है।

अतः उपरोक्तानुसार दिनांक 01.07.2017 से संबद्धता शुल्क पर 18% GST देय होगा।

प्रभारी कुलसचिव

पृ. क्रमांक/एफ-130/3984/डी.यू.एच.एस./अका/2024
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 18/11/2024

1. संचालक, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
2. अधिष्ठाता/प्राचार्य, पं.दी.उपा. स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर की आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. माननीय कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजसहायक, पं.दी.द.उपा. स्मृति स्वा. विज्ञान एवं आयुष वि.वि. रायपुर (छ.ग.)।
4. उप संचालक वित्त/प्रभारी लेखा शाखा, पं.दी.द.उपा. स्मृति स्वा. विज्ञान एवं आयुष वि.वि. छत्तीसगढ़ रायपुर (छ.ग.)।
5. प्रभारी आई-टी शाखा, पं.दी.द.उपा. स्मृति स्वा. विज्ञान एवं आयुष वि.वि. छत्तीसगढ़ रायपुर (छ.ग.) की ओर विश्वविद्यालय के वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

प्रभारी कुलसचिव